

**बिहार सरकार  
कृषि विभाग।**

पत्र सं०- पी०पी०एम०-28/2017- **4284** /कृ०, पटना, दिनांक 17-12- 2019

**कार्यालय आदेश**

पी०पी०एम० कोषांग, कृषि विभाग में GeM के माध्यम से सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए कृषि विभाग द्वारा नामित Primary User अंतर्गत निम्न को नामित किया जाता है :-

2. श्री राजेश नन्दन कुमार, सांख्यिकी सहायक, पी०पी०एम० को Secondary user अंतर्गत Buyer एवं Consigner प्राधिकृत किया जाता है।

3. श्री अनिल कुमार झा, उप निदेशक (शष्प)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना को Secondary user अंतर्गत Paying Authority प्राधिकृत किया जाता है।

पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

*17/12/19*

(गणेश कुमार)  
निदेशक, पी.पी.एम,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं०- पी०पी०एम०-28/2017- **4284** /कृ०, पटना, दिनांक 17-12- 2019

प्रतिलिपि - वित्त विभाग के पत्रांक-2391 दिनांक 26.03.2018 की छायाप्रति के साथ श्री अनिल कुमार झा, उप निदेशक (शष्प)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/श्री राजेश नन्दन कुमार, सांख्यिकी सहायक, पी०पी०एम० कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*17/12/19*

निदेशक, पी.पी.एम,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं०- पी०पी०एम०-28/2017- **4284** /कृ०, पटना, दिनांक 17-12- 2019

प्रतिलिपि - उप निदेशक (शष्प), सूचना/आईटी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*17/12/19*

निदेशक, पी.पी.एम,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।